तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.2023	वकील वादीगण के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी बाबत शीघ्र सुनवाई का पेश कर स्वीकार होने पर पत्रावली आगामी तारीख पेशी 24.07.2023 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट भी न्यायालय में पेश हो चुकी है। वादपत्र बंटवारा का होकर आवश्यक प्रकृत्ति का है। जिसमें शीघ्र सुनवाई किये जाने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा किया गया है। वकील वादीगण के निवेदन पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 915/भू.अ./23 दिनांक 31.05.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। वकील वादीगण ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादीगण ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पक्षकारान् के मध्य हुए पूर्व बंटवारा के आधार पर प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से सहमत होते हुए आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन करते हुए प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रारम्भिक डिक्री से अन्तिम डिक्री जारी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होने बाबत पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया है। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकील वादीगण सुनी गई। वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस व प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व [illegible] अनापत्ति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा [illegible] होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में [illegible] समझता हूं। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तका[illegible] एंव स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर	तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रारम्भिक डिक्री रिपोर्ट से मैं सहमत हूँ प्रारम्भिक डिक्री रिपोर्ट के मुताबिक अन्तिम डिक्री जारी की जावे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। (हस्ताक्षर) अधिवक्ता वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 06/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

कैलाश सिंह बनाम भगवानसिंह

दावा क्र. 118/22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 06/06/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
118 / 2022	2022 / 295	13.09.2022	06.06.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. कैलाशसिंह पुत्र प्रहलादसिंह आयु 56 वर्ष
2. महेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलादसिंह आयु 60 वर्ष
3. रूपसिंह पुत्र प्रहलादसिंह आयु 50 वर्ष
4. श्रवणसिंह पुत्र प्रहलादसिंह आयु 53 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हाल निवासीगण प्लाट नम्बर 258 जसवन्तनगर खातीपुरा जयपुर राज0।

— **वादीगण**—

बनाम्

1. भगवानसिंह पुत्र शंकरसिंह आयु 55 वर्ष
2. भंवरकंवर पत्नी शंकरसिंह आयु 70 वर्ष
3. मुकन्दसिंह पुत्र शंकरसिंह आयु 45 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

4. पटवारी हल्का लिसाडिया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
6. उपपंजियक अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

— **प्रतिवादीगण** —

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थितः–

Signature Not Verified

श्री गिरधारी लाल सैनी, [illegible]
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से।

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

06/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादपत्र बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 1356 रकबा 0.5700 है0, खसरा नम्बर 1357 रकबा 0.1600 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7500 है0 तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित हैं। उक्त वर्णित भूमियों की खातेदारी वादीगण के नाम व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं तथा उक्त भूमिया वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमिया है। जिनका अभी तक राजस्व रिकार्ड में कोई बंटवारा नहीं हुआ है। मौके पर बाह्मी बंटवारा कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 काफी पैसे वाले एवं राजनैतिक असरदार वाले व्यक्ति हैं, जिनके मन में वर्तमान समय में जमीनो की बढती हुयी कीमतो के कारण बदनियति आ गयी है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 द्वारा आये दिन अनावश्यक रूप से मौके पर वाद–विवाद उत्पन्न किया जाता रहा है तथा उक्त भूमियों का समुचित रूप से काश्त के रूप में उपयोग–उपभोग करने में प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 आये दिन अवरोध कारित करते रहते है तथा बात–बात को लेकर झगडे फिसाद एवं मरमार करने करने पर उतारू हो जाते है। इसलिये उक्त भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण का (संयुक्त) राजस्व रिकार्ड में काश्त किया जाना असम्भव हो गया है तथा वादीगण अपनी आवश्यकतानुसार अपनी भूमि को समुचित विकास एवं उपयोग–उपभोग करने से महरूम हो रहे है। इसलिये उक्त वर्णित भूमि का कानूनन विभाजन कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 उक्त वर्णित भूमियो को बाला–बाला बिना विधिक बंटवारा करवाये विशिष्ठ भाग को दीगर व्यक्तियों अजनबी को विक्रय कर उनका कब्जा करवाने व निर्माण कर वादीगण को जोर जबर शक्ति के बल पर बेदखल कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

06/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादीगण को उनके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की धमकियां दे रहे है व
कुचेष्टा कर रहे है। शामलाती भूमियों का बिना बंटवारा कराये प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3
को सह खातेदारो की बिना सहमति के कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नहीं है।
वादीगण को प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 ने काफी हैरान परेशान कर रखा है, कहने सुनने
से प्रतिवादीगण मान नही रहे है तथा मौके पर कानूनहीनता की गम्भीर स्थिति पैदा कर
रखी है। वादीगण कानून सम्मत व्यक्ति है जो कि अनावश्यक वाद विवाद नही चाहते है।
इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित मे आवश्यक
है उक्त वर्णित भूमियो का विधिवत बंटवारा नही होने से वादीगण को सख्त हकतलफी है।
भूमियो का विभाजन नही होने से प्रतिवादीगण की बेजा हरकतों से वादीगण का भूमि में
शामिल काश्त करना मुश्किल हो गया है। इसलिए उक्त वर्णित भूमि का मौके पर बाहमी
बंटवारा के अनुसार विधिक बंटवारा करवाया जाकर खातेदारी अलग-अलग अंकित किया
जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया है तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को बिना बंटवारे
के शामलाती अविभक्त उक्त वर्णित भूमि के किसी भी विशेष भू-भाग पर निर्माण करने,
दीगर को बैचान करने या स्वयं का विशिष्ठ भाग पर कब्जा करने का कोई कानूनी हक
अधिकार किसी किस्म का नही है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 बिना बंटवारा कराये उक्त
वर्णित भूमि को बढती हुये मूल्य के कारण उनके मन में बदनियति आने पर दीगर भूमाफियाओं
को विशिष्ठ भू-भाग को बैचान करने एवं जबरन वादीगण को बाहमी बंटवारा में आये
विशिष्ठ भू-भाग पर कब्जा कराने पर आमाद हैं। कहने सुनने से मान नही रहे है तथा
धमकी दे रहे है कि हम हमारी ईच्छानुसार भूमि के विशिष्ठ भाग पर कब्जा करके निर्माण
करके वादीगण को संयुक्त खातेदारी भूमि से बेदखल करेगें तथा भूमि को अकृषि भूमि में
बदलेगे। यदि प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 ने उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में विशिष्ठ जगह
पर स्वयं का कब्जा कर लिया या दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को अन्तरण कर दिया या
भूमि मे निर्माण कर लिया या कृषि भूमि से अकृषि में तब्दील कर दिया तो वादीगण के भूमि
मुतनाजा मे निहित विधिक हक हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होगे। वादीगण अपने हिस्से
की भूमियो से बेजा तौर पर महरूम हो जावेगे। आ[illegible] रूप से मुकदमेबाजी बढेगी,
जिससे वादीगण को इस कदर क्षति [illegible] से संभव नहीं हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

06/06/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

सकेगी। इसलिए प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 की उक्त गलत, अवैध एवं मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के कानूनी अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 को न्यायहित में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपनी उक्त भूमियों का बाहमी बंटवारा कर बाहमी बंटवारा के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। इसलिए वादीगण ने उक्त वर्णित भूमि का बंटवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो वह पूर्व में तो बंटवारा कराने के लिये आजकल–आजकल करते रहे व टहलाते रहे हैं। वादीगण ने दिनांक 13.08.2022 को मौजूद प्रतिवादीगण को बंटवारा कराने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने भूमियों का बाहमी बंटवारा के अनुसार कानूनी बंटवारा करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा बिना राजस्व रिकार्ड विभाजन के भूमियों के कीमती विशिष्ठ एवं उपजाऊ भाग पर कब्जा करने व कृषि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एवं दीगर अजनबी व्यक्तियों को अन्तरित करने व उक्त विशिष्ठ भू–भाग पर दीगर भूमाफियाओं का कब्जा कराने एवं जबरन ताकत के बल पर विशिष्ठ भू–भाग पर निर्माण करने की एहलानिया धमकी देने से वादकारण पैदा हुआ हैं व लगातार हो रहा हैं। वादीगण ने उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1355 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 1356 रकबा 0.5700 है0, कृषि भूमि खसरा नम्बर 1357 रकबा 0.1600 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.7500 है0 तन् ग्राम लिसाड़िया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के वादीगण एव प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 के मध्य बाह्मी बंटवारा के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 के हिस्सेनुसार विधिक विभाजन राजस्व रिकार्ड करवाया जाकर अलग–अलग बटा नम्बर डालकर अलग–अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किये जाने तथा अलग–अलग सीव कायम कर नक्शें में तरमीम करवाये जाने तथा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 3 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाये जानें का निवेदन वकील वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में किया है। दावा वादी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवारा चाहने एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वादीग[illegible] रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। [illegible]तिवादीगण नं. 1 लगायत 3 की

06/03/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

ओर से श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर पूर्व में दिनांक 31.10.2022 को आईन्दा पेशी पर वकालतनामा पेश करने बाबत अण्डरटेंकिग पेश की थी परन्तु इसके पश्चात् तीन तारीख पेशियाँ दिये जाने के उपरान्त भी श्री लोकेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने वकालतनामा पेश नहीं किये जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने पर वकील वादीगण ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील वादीगण ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में दिनांक 19.01.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 146/रीडर/2023 दिनांक 20.01.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 915/भू.अ./2023 दिनांक 31.05.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक ... प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की ... रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

06/06/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वादीगण अभिभाषक ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने तथा प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी सम्वत 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम– 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। **तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने अपनी सहमती प्रकट की है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।**

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकारमा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के [illegible] तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी [illegible] 31.05.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा [illegible] से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

08/06/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :–

क्र. सं.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेर में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	कैलाशसिंह पुत्र प्रहलादसिंह 1/8 भगवानसिंह पुत्र शंकरसिंह 1/6 भंवरकंवर पत्नि स्व0 शंकरसिंह 1/6 मुकन्दसिंह पुत्र शंकरसिंह 1/6 महेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलादसिंह 1/8 रूपसिंह पुत्र प्रहलादसिंह 1/8 श्रवणसिंह पुत्र प्रहलादसिंह 1/8	1355 1356 1357	0.0200 0.5700 0.1600	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1	0.12 3.52 0.99
	योग खाता	किता–3	0.7500	बारानी 1	4.6300

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेर्में)	किस्म	लगान (रू. में)
1	कैलाश सिंह, महेन्द्र सिंह, रूपसिंह, श्रवणसिंह पुत्रगण प्रहलाद सिंह जाति राजपूत सा0देह0 हिस्सा बराबर	1356/1 1357/1	0.2350 0.1400	बारानी–1 बारानी–1	
	योग खाता	किता–2	[illegible]3750	बारानी–1	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

/06/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

2	भगवान सिंह, मुकन्द सिंह पुत्रगण शंकर सिंह हिस्सा बहिस्सा बराबर 2/3 भंवर कंवर पत्नि शंकरसिंह हि0 1/3 जाति राजपूत सा0 देह	1355 1356/2 1357/2	0.0200 0.3350 0.0200	बारानी 1 बारानी 1 बारानी 1	
	योग खाता	किता–3	0.3750	बारानी–1	

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 915/भू.अ./23 दिनांक 31.05.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

06/06/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.06.21 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

06/06/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)